

सुरजनाम/सरकार

14.6.2021 पत्रावली पेश हुई। प्राची का प्रा-पत्र स्वीकार किया जाते हैं। विस्तृत निर्णय प्रत्येक से संकेत कराया जाकर शामिल किया गया। प्रा-पत्र फैसल नुमाय होकर लेख संभार हो, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सपखण्ड अधिकारी
कशनगढ़-बास (अबवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा:- श्री मुकुट सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या
37/21

प्रवेश तिथि
10.05.2021

निर्णय तिथि
14-6-21

उपखण्ड

1. श्री सूरजभान पुत्र श्री श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी बघेरी कलां तहसील किशनगढबास, जिला अलवर

प्रार्थी:-

वनाम

1. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) किशनगढबास
2. राकेश सिंह पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी बघेरी कलां तहसील किशनगढबास, जिला अलवर

अप्रार्थीगण:-

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 48,49 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:-

1. श्री जगन सिंह गुर्जर वकील प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थी की ओर से इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृत्तांत निम्न प्रकार से है:-

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 48,49 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उप पंजीयक किशनगढबास से दिनांक 11.06.2020 को तबादलानामा/विनिमय विलेख संख्या 202003359100237 पंजीबद्ध कराया था जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 से उक्त तबादलानामा/विनिमय विलेख का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया। परंतु अप्रार्थी संख्या 01 ने अवगत कराया कि पंजीबद्ध विनिमय दस्तावेजो का एल.आर.सी. मे ई-धरती 1.0 पर हिस्से के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी के उक्त दस्तावेजात के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किये जाने पर न्यायालय श्रीमान में यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार(लेण्ड होल्डर) किशनगढबास को आदेश दिये जावे कि वे प्रार्थी के द्वारा पंजीबद्ध कराये गये तबादलानामा/विनिमय विलेख के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर मन्जूर करे।


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ-बास (अलवर)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण ने इकबाल जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जबाब में यह तथ्य स्वीकार किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधि संवत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास को आदेश दिये जाते है कि रजिस्टर्ड तबादलानामा/विनिमय विलेख दिनांक 11.06.2020 क्रमांक 202003359100237 के अनुसार व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट व राजस्व पत्रादि की जांच रिपोर्ट दिनांक 03.09.2020 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 835 रकबा 0.4300 हे० में से 1/4 हि० दर्ज खाता 372 जमाबंदी 2076 राजस्व ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास जिला अलवर तथा ख.नं. हाल 1855 रकबा 0.9400 हे० में से 1/4 हिस्सा, 79 रकबा 0.1400 हे० सालिम, 43 रकबा 0.0900 हे० सालिम दर्ज खाता 282, 438 जमाबंदी संवत् 2075 राजस्व ग्राम बघेरीकलां तहसील किशनगढबास जिला अलवर से प्रार्थी सुरजभान पुत्र श्योनारायण गुर्जर, बघेरीकलां खातेदार के हिस्से आराजी के नाम को हजफ/कलमजन किया जाकर, आराजी ख०न० हाल 814 रकबा 0.3400 हे० में से 1/2 हि०, 815 रकबा 0.0500 हे० में से 1/2 हि०, 816 रकबा 0.0600 हे० में से 1/2 हि०, 817 रकबा 0.6100 हे० में से 1/2 हि०, 810 रकबा 0.3000 हे० में से 425/3000 हि० दर्ज खाता संख्या 377, 373 दर्ज जमाबंदी संवत् 2076 राजस्व ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास पर अप्रार्थी संख्या 02/राकेश सिंह पुत्र रामलाल गुर्जर, बघेरीकलां खातेदार के नाम के स्थान पर प्रार्थी सुरजभान पुत्र श्री श्योनारायण गुर्जर बघेरीकलां का अंकन राजस्व रिकॉर्ड पत्रादि में दर्ज किया जावे तथा इसी कदर खसरा नंबर हाल 814 रकबा 0.3400 हे० में से 1/2 हि०, 815 रकबा 0.0500 हे० में से 1/2 हि०, 816 रकबा 0.0600 हे० में से 1/2 हि०, 817 रकबा 0.6100 हे० में से 1/2 हि०, 810 रकबा 0.3000 हे० में से 425/3000 हि० दर्ज खाता संख्या 377, 373 दर्ज जमाबंदी संवत् 2076 राजस्व ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास से अप्रार्थी संख्या 2/राकेश सिंह पुत्र रामलाल गुर्जर बघेरीकलां खातेदार के हिस्से आराजी के नाम को हजफ/कलमजन किया जाकर आराजी खसरा नंबर 835 रकबा 0.4300 हे० में से 1/4 हि० दर्ज खाता 372 जमाबंदी 2076 राजस्व ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास जिला अलवर तथा खसरा नंबर हाल 1855 रकबा 0.9400 हे० में से 1/4 हिस्सा, 79 रकबा 0.1400 हे० सालिम, 43 रकबा 0.0900 हे० सालिम दर्ज खाता 282, 438 जमाबंदी संवत् 2075 राजस्व ग्राम बघेरीकलां तहसील किशनगढबास जिला अलवर से प्रार्थी सुरजभान पुत्र श्योनारायण गुर्जर निवासी बघेरीकलां खातेदार के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2/राकेश सिंह के नाम का अंकन मुताबिक विनिमय विलेख/तबादलानामा दिनांक 11.06.2020 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज वो मन्जूर करे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भेजी जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सुरजभान गुर्जर (प्रार्थी)
किशनगढबास (अलवर)
किशनगढबास (अलवर)